	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	चैत्र 9, मंगलवार, शाके 1932–मार्च 30, 2010 *Chaitra 9, Tuesday, Saka 1932–March 30, 2010*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च, 30, 2010

एस. ओ. 410:–राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4बी द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ.6(179) परि/कर/मु./95/25, दिनांक 31–3–2006 में इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना मे विद्यमान परन्तुक (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"(2) खण्ड 1 के उप–खण्ड (v), (vi) और (vii) और खण्ड 2 के अधीन आने वाले मोटर यानों के लिए विशेष सड़क कर की अधिकतम रकम 25000/– रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं होगी।"

[संख्या एफ.6(179)परि/कर/मु./95/25बी]

राज्यपाल के आदेश से,

मदन सिंह काला,

शासन उप सचिव।

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, March, 30, 2010

S.O.410:-In exercise of the powers conferred by section 4B of the Rajasthan Motor Vehicle Taxation Act, 1951, (Act No.11 of

1951), the State Government hereby, with immediate effect, makes the following amendment in this department Notification No.F6.(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/25, dated 31-03-2006, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In the said notification the existing proviso (2) shall be substituted by the following, namely:-

"(2) for the motor vehicles falling under the sub-clauses (v), (vi) and (vii) of clause 1 and clause 2, the maximum amount of Special Road Tax shall not exceed Rs.25,000 per month."

[No.F6.(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/25B]

By Order of the Governor,

मदन सिंह काला,

Deputy Secretary to Government.

Government Central Press, Jaipur.